

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक:एफ (1)/1(27)आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/क.सहा./2020

दिनांक: 05.08.2020

::आदेश::

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3)विभाग,राज.,जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (2)प्र.सु/अनु.-3/2020 दिनांक 18.06.2020 द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये निम्नांकित 06 अभ्यर्थियों को इस विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु आवंटित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम,1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उद्योग विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15 (1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.11.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रुपये 14600/-प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्ति दी जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में एतद्वारा किया जाता है :-

S. No	RANK	ROLL NO.	NAME and F. NAME	DOB	CAT.	PLACE OF POSTING
1.	17774	1381377	श्री गिर्राज वर्मा पुत्र श्री सूरज मल वर्मा	15.01.1991	SC	कार्या. आयुक्त,उद्योग विभाग,जयपुर
2.	18241	2185500	श्री संजय मनोहर पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार मनोहर	17.11.1990	SC	कार्या. आयुक्त,उद्योग विभाग,जयपुर
3.	18300	1482595	श्री मोहित धेनवाल पुत्र श्री मुरलीधर धेनवाल	12.07.1994	SC	जिला उद्योग केन्द्र,अजमेर
4.	21577	1368581	श्री धर्मेन्द्र मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय मीणा	18.02.1994	ST	कार्या. आयुक्त,उद्योग विभाग,जयपुर
5.	21715	1348564	श्री गोपाल लाल मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा	11.01.1988	ST	कार्या. आयुक्त,उद्योग विभाग,जयपुर
6.	21835	1475385	श्री मुरारी लाल मीणा पुत्र श्री रामखिलाडी मीणा	06.08.1988	ST	जिला उद्योग केन्द्र,करौली

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

- उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में कार्यग्रहण करने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि

**कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005**

- में कार्यग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. यह नियुक्ति अस्थायी है। दो वर्ष की अवधि के लिए अभ्यर्थी को परिवीक्षाधीन काल में नियत पारिश्रमिक पर कार्य करना होगा। परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
3. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
4. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
5. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मेट्रिक्स के लेवल-5 में कर नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा-2018 के मेरिट क्रम में रहेगी।
7. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
8. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं तत्पश्चात गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
9. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
10. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र आदि संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में कोई विपरीत तथ्य पाये जाते हैं तो चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करने का विभाग को अधिकार होगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ.6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.06, एफ.1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.06, एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.06 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे, इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राज. राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अध्यधीन होगा।
12. सभी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
14. पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(अर्चना सिंह)
आयुक्त, उद्योग

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक:एफ (1)/1(27)आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/क.सहा./2020

दिनांक: 05.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई।
3. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग (संस्थापन), मुख्यालय, जयपुर।
7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग, केन्द्र, संबंधित को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि अभ्यर्थी के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता व आयु आदि के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों को देखकर संबंधित पत्रादि की एक स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त कर कार्यग्रहण करावें। यदि आपके कार्यालय में पदस्थापित उक्त अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात् उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे। अभ्यर्थी का राज. कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर का मूल आवेदन पत्र तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने की सूचना तत्काल आवश्यक रूप से मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (कम्प्यूटर), मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. निजी सहायक, आयुक्त, उद्योग।
10. संबंधित अभ्यर्थी।
11. रक्षित पत्रावली।


(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)